न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–701 / 2026

विपिन कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

बिदुपुर थाना कांड सं0–37 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट।

01-04-2026

बिदुपुर थाना कांड संख्या–37 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **विपिन कुमार उम्र–27 वर्ष पेसर–राज कुमार, गोपी कुमार उम्र–25 वर्ष पेसर–चन्देश्वर सिंह एवं प्रिंस कुमार उम्र–22 वर्ष पेसर–अशोक सिंह** सभी साकिन–मथुरा, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री हरेन्द्र कुमार सिंह** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** एवं सूचिका के तरफ से विद्वान अधिवक्ता **श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 2 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–20.01.2026 को समय करीब शाम 03.00 बजे सूचिका अपने घर पर बैठी थी उसी समय उसके ग्रामीणों द्वारा पता चला कि उसके खेत में विकास कुमार एवं विपिन कुमार पानी पटा रहे है तो सूचिका अपने खेत पर गई तो देखी कि विकास कुमार करीब 10 से 12 बदमाशों के साथ हरवे–हथियार लेकर बैठे हुए तो सूचिका खेत में पानी पटाने से मना की तो विकास कुमार बोला कि यह खेत अब उसका हो गया है। सूचिका द्वारा विरोध करने पर विकास कुमार, विपिन कुमार, अभिजीत कुमार, विक्की कुमार, गोपी कुमार, प्रिंस कुमार एवं राजेश कुमार सभी मिलकर गाली–गलौज करते हुए लाठी, डंडा एवं लोहे के रड से मारने लगे। विकास कुमार अपने कमर में रखे पिस्टल के बट से आगे से उसके सर पर वार किया जिससे उसका सर फट गया। बचाने सूचिका के पति नवीन सिंह और जाउत विशाल कुमार आये तो उनलोगों को भी मारपीट कर जख्मी कर दिये। विशाल कुमार का हाथ का अंगूली कट गया और विपिन कुमार पिस्टल से हवाई फायरिंग करीब 10 राउन्ड चलाया। गोली की आवाज सुनकर आस–पास के लोगों को आते देख अभियुक्तगण भाग गये। भागते समय विकास कुमार सूचिका के गर्दन से मंगल सूत्र छीन लिया और धमकी दिया कि केस किया तो जान से मार देगें।

Web Copy not official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–701 / 2026

विपिन कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

01.04.2026 आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में जमीनी विवाद के कारण फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढ़न्त है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला बिदुपुर थाना कांड सं0–38 / 2026 का पलटा मुदकमा है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–109 एवं 303(2) एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट का आरोप नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि सूचिका और आवेदकगण के बीच भूमि विवाद चल रहा है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी 01 से 67 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर हरवे–हथियार से लैस होकर सूचिका के साथ गाली–गलौज कर मारपीट करने, पिस्टल के बट से सर पर मारकर सर फाड़ देने, सूचिका के पति नवीन सिंह एवं जाउत विशाल कुमार के साथ मारपीट करने, विशाल कुमार का हाथ का अंगूली काट देने, पिस्टल से हवाई फायरिंग करने, सूचिका के गर्दन से मंगल सूत्र छीन लेने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका 49 में जख्मी विशाल कुमार, नवीन सिंह एवं ललिता देवी का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा उनके जख्म को साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। पर्यवेक्षण टिप्पणी कंडिका 52 से प्रकट होता है कि इस कांड की सूचिका ललिता देवी एवं बिदुपुर थाना कांड सं0–38 / 2026 के सूचक देवी लाल सिंह के बीच विवादित जमीन जिसका खाता नं0–746, खेसरा सं0–2512, खाता नं0–843, खेसरा नं0–2513, खाता नं0–138, खेसरा नं0–2514 पर दोनों पक्षों के द्वारा अपना–अपना दावेदारी दिखाते है। पर्यवेक्षण टिप्पणी यह प्रकट करती है कि धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता का समावेश उचित प्रतीत नहीं होता है। प्राथमिकी अनुसार आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है बल्कि सह अभियुक्त विकास कुमार पर सूचिका को पिस्टल के बट से सर पर मारने एवं

Web Copy not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–701 / 2026

विपिन कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

01.04.2026 सह अभियुक्त विशाल कुमार पर पिस्टल से 10 राउन्ड हवाई फायरिंग करने का आरोप है। जबकि जप्ती सूची के अनुसार घटनास्थल पर केवल एक खोखा ही बरामद हुआ है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

आदेश पर नियत की तिथि	01.04.2026
आदेश की तिथि	01.04.2026
अपलोड करने की तिथि	02.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web Copy - Not Official